(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1775--पीबीआर - 2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-8-2005 - पारित द्वारा - आयुक्त,भोपाल संभाग, भोपाल - प्रकरण कमांक 126/04-05 अपील

1- सूरतसिंह 2- लालाराम 3- रतीनाम
4- इमरतसिंह पुत्रगण मोहन सिंह
ग्राम पचमा तहसील गंजबासोदा जिला विदिशा
5- श्यामबाई पुत्री खिलानसिंह
मृत वारिस चैनसिंह ग्राम मड़ीपुर
तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा
6- शीलाबाई पत्नि मुंशीलाल
ग्राम पीताम्बर मूढरा तहसील नटेरन
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ----अपीलार्थी

विरूद्ध

1- नाथूराम पुत्र आशाराम ब्राहमण
2- रामशंकर पुत्र वासुदेव
3- आशाराम पुत्र विहारीलाल
4- दशरथ प्रसाद 5- बृजमोहन
6- लालूराम 7- रमाकान्त
पुत्रगण आशाराम ग्राम पचेरा
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(दिनांक 5-9 - 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 126/04-05 अपील में पारित आदेश दि. 28.7.2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर विदिशा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उनके स्वामित्व की आराजी नंबर 15 रकबा 1.693 हैक्टर एंव 16/1 रकबा 0.157 हैक्टर से शासकीय भूमि आराजी नंबर 820 रकबा 0.470 हैक्टर तथा 821 रकबा 0.512 हैक्टर के विनिमय की मांग की, जिस पर कलेक्टर विदिशा ने प्रकरण कमांक 16 अ-19/2003-04 पंजीबद्ध किया एंव आराजी नंबर 820 शासकीय अभिलेख में शाला भवन हेतु आरक्षित होने तथा आराजी नंबर 821 शासकीय अभिलेख में तलैया दर्ज होने से विनिमय आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त,भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 126/04-05 अपील में पारित आदेश दि. 28.7.2000 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब भूमि सर्वे नंबर 820 शासकीय अभिलेख में पूर्व से सार्वजनिक प्रयोग हेतु शाला भवन के लिये आरक्षित है, विनिमय में दिया जाना संभव नहीं है एंव ऐसी भूमि की काविलकास्त नाईयत भी परिवर्तित नहीं की जा सकती। भूमि सर्वे नंबर 821 शासकीय अभिलेख में तलैया दर्ज है जो ग्रामवासियों के निस्तार की है एंव तलैया में वरषाती पानी भरने से उसका पानी ग्रामीणों के पशुओं के पेयजल उपयोग में आता है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के अधीन सार्वजनिक प्रयोग के लिये आरक्षित रखी गई भूमियों को किसी एक व्यक्ति के हित के

लिये नोईयत बदलकर कृषि हेतु बंटित करके अथवा विनिमय करके नहीं दी जा सकती। वैसे भी उक्तांकित भूमियों पर व्यवहार वाद कमांक 62-ए/2000 लम्बित होकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हैं, जिसके कारण कलेक्टर, विदिशा व्दारा पारित आदेश दिनांक 24-2-04 में किसी प्रकार की त्रृटि होना परिलक्षित नहीं है और इन्हीं कारणों से आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 126/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.7.2000 में कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 126/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.7.2000 उचित पाये जाने यथावत् रखा जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर